बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
–:: संकल्प ::–

श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रशिक्षण पक्ष, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार, पटना सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल के विरूद्ध अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा जुलाई, 2018 में अनियमितता की शिकायत पाये गये परीक्षा केन्द्रों में से 04 परीक्षा केंन्द्रों यथा परीक्षा केन्द्र संख्या– 87, 93, 94, एवं 96 का जाँच प्रतिवेदन जान–बूझकर परोक्ष रूप से संस्थानों को लाभ पहुँचान के उदेश्य से विलंब से समर्पित करने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने, वरीय पदाधिकारीयों के आदेश की अवहेलना करने एवं सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध कार्य करने इत्यादि के आरोप में आरोप पत्र गठित किया गया तथा विभागीय ज्ञापांक–383 दिनांक–11.02.19 द्वारा श्री राकेश कुमार को आरोप पत्र सहित सभी साक्ष्यों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

2. उक्त के आलोक में श्री राकेश कुमार द्वारा दिनांक–28.02.19 से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री राकेश कुमार के विरुद्ध पहला आरोप है कि उन्हें अ०भा०व्य०परीक्षा, जुलाई, 2018 में जिन परीक्षा केन्द्रों पर अनियमितता की शिकायत पाई गई थी उनमें से चार परीक्षा केन्द्रों यथा परीक्षा केन्द्र सं0–87, 93, 94 एवं 96 का जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु गै०स०प्रे०सं०–498 दिनांक–07.09.2018 से निदेश दिया गया एवं गै०स०प्रे०सं०–522 दिनांक–17.09.2018 द्वारा स्मारित किया गया। परन्तु उन्होंने जानबूझ कर ससमय जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जिसके कारण किशुनदेव प्रा०आई०टी०आई०, भोजपुर के फीटर व्यवसाय के सेमेस्टर 2, 3 एवं 4 के प्रशिक्षणार्थी दिनांक–26.09.2018 से आयोजित पुनर्परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके एवं उनका सत्र विलम्बित हुआ।

श्री राकेश कुमार ने अपने स्पष्टीकरण यह उल्लेख किया है कि निदेशालय के गै०स०प्रे०सं०–522 दिनांक–17.09.2018 के अनुपालन में उन्होंने दिनांक–18.09.2018 को श्री मोहन ताँती, क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जाँच कमिटि को जाँच प्रतिवेदन हाथों–हाथ तथा निदेशालय के गै०स०प्रे०सं०–533 दिनांक–19.09.2018 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया था। साक्ष्य के रुप में गै०स०प्रे०सं०–533 दिनांक– 19.09.2018 की प्रति संलग्न की गयी। श्री राकेश कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने सहयोग हेतु एक कर्मी की सेवायें उपलब्ध कराने के लिए सहायक निदेशक, परीक्षा से कई बार अनुरोध किया परन्तु उनके द्वारा किसी कर्मी की सेवायें नहीं दी गयी। इस संबंध में जाँच कमिटि के अध्यक्ष से अनुरोध करने के पश्चात् एक कर्मी की सेवायें उपलब्ध हो पायीं जिसके सहयोग से जाँच का कार्य पूर्ण किया गया। इस तरह उनके द्वारा इस मामले में जान बूझकर विलम्ब नहीं किया गया वरन् अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण विलम्ब हुआ।

3. श्री राकेश कुमार के विरुद्ध दूसरा आरोप पहले आरोप से ही सम्बद्ध है, जो कि उनके द्वारा परोक्ष रुप से संस्थानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जाँच प्रतिवेदन विलम्ब से समर्पित किया गया एवं उनका यह कृत्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

श्री राकेश कुमार के द्वारा इस आरोप के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है कि सेमेस्टर 2, 3 एवं 4 की पुनर्परीक्षा क्रमशः दिनांक–28.09.2018, दिनांक–03.10.2018 एवं 05.10.2018 को निर्धारित थी। उनके द्वारा दिनांक–18.09.2018 को जाँच समिति के अध्यक्ष को हांथों–हांथ तथा निदेशालय के गै०स०प्रे०सं०–533 दिनांक–19.09.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया था, यदि सहायक निदेशक, परीक्षा द्वारा किशुनदेव प्रा०आइ०टी०आई०, भोजपुर केन्द्र के फिटर व्यवसाय के सेमेस्टर 2, 3 एवं 4 के प्रशिक्षणार्थियों की पुनर्परीक्षा के संबंध में प्रयास किया जाता अथवा भारत सरकार को अनुशंसा भेजी जाती तो सम्भवतः पुनर्परीक्षा करायी जा सकती थी। इसके लिए पर्याप्त समय था। दृष्टान्त के रुप में उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में मात्र दो दिनों के अन्तराल पर पूरे राज्य में पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक–19.10.2018 के आधार पर उन्होंने यह उल्लेख किया कि मात्र एक दिन के अन्तराल पर कुल 24 परीक्षा केन्द्रों की व्यवहारिक परीक्षा रद्द की गयी। सत्र विलम्ब होने के संबंध में उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया है कि व्यवहारिक परीक्षा के कारण सत्र विलम्ब नहीं हुआ क्योंकि व्यवहारिक परीक्षा का अंक NCVT पोर्टल पर अपलोड है। सत्र का विलम्ब सैद्धान्तिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण हुआ। साक्ष्य के रुप में प्रशिक्षणार्थियों का अंकपत्र संलग्न किया गया।

4. आरोप संख्या तीन जो वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना तथा सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध कार्य करने से संबंधित है के संबंध में श्री राकेश कुमार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वे एक कर्त्तव्यनिष्ट एवं अनुशासनप्रिय सरकारी सेवक हैं। अत्यधिक कार्यभार होने के बाद भी कार्यों का ससमय निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। अतएव उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाय।

5. श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण के उक्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राकेश कुमार को निदेशालय के गै०स०प्रे०सं०–498 दिनांक–07.09.2018 द्वारा माननीय मंत्री से प्राप्त निदेश के आलोक में कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र सं0 87, 93, 94 एवं 96 का जाँच कार्य आवंटित किया गया था। परन्तु उनके द्वारा निदेशालय के गै०स०प्रे०सं०–533 दिनांक–19.09.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। स्पष्टतः श्री राकेश कुमार ससमय जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं कर सकें जिसके कारण परीक्षा केन्द्र संख्या 87, किशुनदेव प्रा०आइ०टी०आई०, भोजपुर के फीटर व्यवसाय के सेमेस्टर 2, 3 एवं 4 के प्रशिक्षणार्थी दिनांक–26.09.2018 से आयोजित पुनर्परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। श्री राकेश कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया है कि यदि सहायक निदेशक (परीक्षा) द्वारा प्रयास किया जाता तो किशुनदेव प्रा०आइ०टी०आई०, भोजपुर के फीटर व्यवसाय के सेमेस्टर 2,3 एवं 4 के प्रशिक्षणार्थियों की पुनर्परीक्षा करायी जा सकती थी। परन्तु इस संबंध में निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा सूचित किया गया कि किशुनदेव प्रा०आइ०टी०आई०, भोजपुर के प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक–26.09.2018 से प्रारम्भ होने वाली पुनर्परीक्षा में समयाभाव के कारण शामिल कराना सम्भव नहीं है। इस प्रकार श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक के विरुद्ध उक्त आरोप प्रमाणित होते हैं। फलस्वरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा

श्री राकेश कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम 14 (i) एवं 14 (v) के आलोक में (i) आरोप वर्ष के लिए निंदन एवं (ii) दो (02) वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का लघु दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतएव, श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रशिक्षण पक्ष, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष, बिहार, पटना सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल के विरूद्ध–

(i) आरोप वर्ष के लिए निंदन एवं

(ii) दो (02) वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का लघु दण्ड अधिरोपित अधिरोपित किया जाता है।

पेत / शीघ्र डाक

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री राकेश कुमार, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 / श्रम वि० आ० (01)– 30 / 2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोघ है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह० / –

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 / श्रम वि० आ० (01)– 30 / 2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 / श्रम वि० आ० (01)– 30 / 2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 30/2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 30/2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री राकेश कुमार, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 30/2018 श्र०सं०– 2486 पटना, दिनांक–30/10/19
प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी०/ मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 30/10/19
सरकार के उप सचिव